

# छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड

(एचसीएल और सीएमडीसी का संयुक्त उद्यम)

द्वितीय

वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

# छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड

(एचसीएल और सीएमडीसी का संयुक्त उद्यम)

ऑडिटर	सामग्री	पृष्ठ सं.
मेसर्स के.एम.जैन एण्ड कं., भिलाई	<u>सदस्यों को सूचना</u>	1
बैंकर्स	<u>निदेशकों की रिपोर्ट</u>	4
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	<u>सी एंड ए.जी. की टिप्पणी</u>	21
पंजीकृत कार्यालय	<u>स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u>	22
क्वाटर नं.-002बी, स्ट्रीट-40 सेक्टर-05, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)490006 दूरभाष सं.: 0788-2222337 इ-मेल: chattisgarhcopper@gmail.com CIN: U13100CT2018GOI008543	<u>वित्तीय विवरण</u>	29

# छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CHHATTISGARH COPPER LIMITED

(एचसीएल और सीएमडीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी A Joint Venture Company of HCL & CMDC)

सीआईएन CIN: U13100CTZ018GOI008543

निबंधित कार्यालय Regd Office: हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड Hindustan Copper Limited, Qtr.NO.002B, स्ट्रीट Street-40

सेक्टर Sector-05 भिलाई Bhilai, दुर्ग Ourg (छ.ग. CG)-490006

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के सदस्यों की दूसरी (दूसरी) वार्षिक आम बैठक संक्षिप्त सूचना पर निम्नलिखित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए बुधवार, 2 सितंबर, 2020 को अपराह्न 3:30 बजे ताम्र भवन 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यु, कोलकाता - 700019 (पश्चिम बंगाल) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय :

1. वैधानिक लेखा परीक्षकों, निदेशकों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (C&AG) की रिपोर्टों सहित 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने,
2. श्री समीर विश्वाई (DIN: 07401224), जो रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने,
3. श्री सुखेन कुमार बंधोपाध्याय (DIN: 08173882), जो रोटेशन से रिटायर होते हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने,
4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

कृते - छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड

ह0/-

(मृत्युंजय कुमार देव)

कंपनी सचिव

ACS22171

स्थान : कोलकाता

तिथि : 26-08-2020

अनुलग्नक: :

1. सूचना का नोट

सेवा में,

1. सभी सदस्यों एवं निदेशकगण

2. सांविधिक लेखा परीक्षक

**टिप्पणी NOTES:**

1. जारी कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों ("सामूहिक रूप से संदर्भित एम.सी.ए. परिपत्र") के साथ पठित अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), का वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजन की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अतः, कंपनी के सदस्यों को आगामी वार्षिक आम बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित और भाग लेना है।
2. चूंकि वार्षिक आम बैठक का संचालन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्रॉक्सी प्रपत्र को सूचना के साथ अनुलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपस्थिति पर्चा और मार्ग नक्शे को नोटिस में संलग्न नहीं किया गया है। हालांकि, निकाय कॉरपोरेट्स को वीसी ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और अपने वोट को ई-वोटिंग के माध्यम से जारी रखने का अधिकार दिया जाता है।
3. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है।
4. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
5. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद वीसी / ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
6. सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए सक्षम बनाने हेतु सभी कदम उठाये गये हैं तथा इसके साथ-साथ उनके पंजीकृत इ-मेल पर भेजे गए निमंत्रण लिंक का पालन करके एजीएम में वे भाग ले सकते हैं।
7. मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से जुड़ने वाले सदस्यों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो नुकसान का अनुभव हो सकता है। इसलिए,

किसी भी तरह के पूर्वोक्त परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए सदस्य श्री मृत्युंजय कुमार देव, कंपनी सचिव से [mritunjaykd@hindustancopper.com](mailto:mritunjaykd@hindustancopper.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

8. यदि अधिनियम के धारा-109 के प्रावधान के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की मांग की जाती है, तो सदस्य अपने पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल [mritunjay\\_kd@hindustancopper.com](mailto:mritunjay_kd@hindustancopper.com) पर भेजकर अपना मत बता सकते हैं।
9. बैठक के दौरान सदस्य सवाल उठा सकते हैं। इ-मेल [mritunjay\\_kd@hindustancopper.com](mailto:mritunjay_kd@hindustancopper.com) पर पहले से ही प्रश्न दिए जा सकते हैं।
10. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैठक के दौरान सदस्यों के निरीक्षण के लिए सभी दस्तावेज, प्रकटीकरण और रजिस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे।

\*\*\*\*\*

**छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड  
निदेशकीय रिपोर्ट**

सेवा में,  
सदस्यगण,  
छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड,  
भिलाई, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (CCL / कंपनी) की दूसरी (वार्षिक) वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में अपार खुशी है।

सी.सी.एल. को 21 मई, 2018 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (GMDC) के संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में तांबा खनिज की खोज एवं तत्पश्चात उसका खनन और बेनिफीशिएशन करना है। एच.सी.एल. और सी.एम.डी.सी. के बीच क्रमशः 74:26 के अनुपात में शेयरहोल्डिंग पैटर्न है और इसलिए सीसीएल भी एचसीएल की अनुषंगी कंपनी है। एचसीएल और सीएमडीसी द्वारा सीसीएल के बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या 3: 2 के अनुपात में है। वाणिज्यिक संचालन सीसीएल को प्रारंभ किया जाना बाकी है।

#### 1. वित्तीय सारांश

कंपनी ने अभी तक अपना संचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए वर्ष के दौरान कोई राजस्व का सृजन नहीं हुआ है। हालाँकि, वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹. 3.76 लाख की हानि की है, जबकि पिछले वर्ष इसी की तुलना में ₹.-24.79 लाख का नुकसान हुआ था। सामान्य, प्रशासन, मूल्यहास और अन्य खर्चों के लिए उपर्युक्त राशि खर्च की गई है।

#### 2. भंडार का हस्तांतरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने भंडार को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

#### 3. लाभांश

लाभ की अनुपलब्धता के मद्देनजर, बोर्ड ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

#### 4. शेयर पूंजी

वित्त वर्ष के दौरान शेयर पूंजी और उसमें परिवर्तन के विवरण निम्नानुसार हैं:

(a) प्राधिकृत शेयर पूंजी: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹.- 10,00,00,000 / - (रुपये दस करोड़ मात्र है) जो ₹.-10 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

(b) जारी किए गए और प्रदत्त शेयर कैपिटल: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी रु.-25, 00, 000 / - (रुपए पच्चीस लाख मात्र) है जो रु.-10/- प्रत्येक के 2,50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

#### 5. संचालनात्मक समीक्षा

कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य में तांबा खनिज के अन्वेषण के लिए पीएल / एमएल प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। उपलब्ध भूगर्भीय जानकारी की जांच करने के बाद, कंपनी ने राजनंदगांव जिला में स्थित बोडल ब्लॉक (21.75 वर्ग किमी) और हिंडार ब्लॉक (लगभग 28.60 वर्ग किमी) की पहचान की है। कंपनी ने खान मंत्रालय, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार को MMDR अधिनियम 1957 की धारा 17A के तहत जुलाई, 2018 के महीने में उपरोक्त ब्लॉकों के लिए क्षेत्र आरक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को भेज दिया था। आईबीएम ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका उत्तर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार से अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है।

6. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव वाली कंपनी द्वारा किए गए कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

#### 7. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

#### 8. नियामक या न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश नहीं है, जो भविष्य में कंपनी के संचालन की चिंता को प्रभावित करेगा।

#### 9. अनुबंधी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी की स्थिति:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई अनुबंधी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

#### 10. जमा

कंपनी ने किसी भी जमा को इसके अधीन नहीं लिया है, या जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है।

#### 11. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत कोई ऋण या गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है।

#### 12. संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है।

### 13. व्यवसाय जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के अनुसार, कंपनी से जुड़ा एकमात्र जोखिम कारक अन्वेषण गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा आवंटित पीएल / एमएल है। इसके अलावा किसी भी जोखिम तत्व की पहचान नहीं की गई है जिससे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

### 14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो अपने परिचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप है। इसके अलावा, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

### 15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (m) के तहत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन का संरक्षण

चूंकि कंपनी को अभी भी अपने वाणिज्यिक परिचालन को शुरू करना है, इसलिए यह दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकताओं के साथ काम कर रही है और इसलिए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाने की गुंजाइश नहीं है। वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन नहीं था।

### 16. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

चूंकि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निवल मूल्य, टर्नओवर या शुद्ध लाभ निर्धारित नहीं किया है, इसलिए सीएसआर समिति का गठन करना और सीएसआर नीति तैयार करना आवश्यक नहीं है।

### 17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत वार्षिक विवरणी का अंश

कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसरण में वार्षिक रिटर्न का अंश अनुबंध अनुलग्नक- 1 के रूप में संलग्न है।

### 18. निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष के दौरान निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उसमें हुए परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

क्र.सं	निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री अरूण कुमार शुक्ला (DIN: 03324672)	प्रबंध निदेशक*	01/01/2020	लागू नहीं
2	श्री संतोष शर्मा (DIN: 07431945)	प्रबंध निदेशक	21/05/2018	31/12/2019



3	श्री समीर विश्नोई (DIN: 07401224)	निदेशक	16/06/2020	लागू नहीं
4	श्री के. सी. देवसेनापति (DIN: 08375535)	निदेशक	10/03/2019	04/07/2019
5	श्री अजीत वसंत (DIN:08516212)	निदेशक	20/07/2019	16/06/2020
6	श्री सुखेन कुमार बांघोपाध्याय (DIN: 08173882)	निदेशक	01/01/2020	लागू नहीं
7	श्री विनय कुमार सिंह (DIN: 08306517)	निदेशक एवं सी.ई.ओ.	17/12/2018	लागू नहीं
8	डॉ. संजय खरे (DIN:08560316)	निदेशक	15/10/2019	लागू नहीं
9	श्री प्रेम सिंह यादव (DIN: 02179916)	निदेशक	10/12/2018	01/08/2019

(\* दिनांक 10-12-2018 के प्रभाव से सी.सी.एल.के निदेशक के रूप में श्री अरूण कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया था और उनका पदनाम दिनांक 01-01-2020 के प्रभाव से निदेशक से प्रबंध निदेशक कर दिया गया था ।)

अवधि के दौरान, श्री संतोष शर्मा, श्री के.सी. देवसेनापति, श्री अजीत वसंत और श्री प्रेम सिंह यादव संबंधित प्रवर्तकों द्वारा नामांकनों में परिवर्तन के कारण कंपनी के निदेशक नहीं बने । बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं और योगदान के लिए भूरी-भूरी प्रशंसा की ।

इसके अलावा, श्री हेमंत किशोर वर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री मृत्युंजय कुमार देव, कंपनी सचिव वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंध कर्मी बने रहे।

#### 19. निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था ।

#### 20. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में, निदेशक बताते हैं कि:

क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों को सामग्री प्रस्थान, यदि कोई है, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है,;

- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन, अनुमान, उसपर निर्णय, और लगातार उसे कार्यान्वित किये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि पर सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;
- घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को एक चिंताजनक आधार पर तैयार किया है; तथा
- इ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी।

## 21. बोर्ड की बैठकें:

वर्ष के दौरान 4 (चार) बोर्ड की बैठकें 02 मई 2019, 04 जुलाई, 2019, 15 अक्टूबर, 2019 और 06 फरवरी, 2020 को आयोजित की गईं। सभी उक्त बैठकों में आवश्यक कोरम मौजूद था और बैठकों के दौरान कार्यवाही को इस उद्देश्य के लिए बनाये गये कार्यवृत्त खाते में रिकॉर्ड किया गया है। बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड बैठकों की सं.	
			हकदार	उपस्थित
1.	श्री अरूण कुमार शुक्ला	प्रबंध निदेशक	4	4
2.	श्री संतोष कुमार शर्मा (up to 31/12/2019)	प्रबंध निदेशक	3	2
3.	श्री समीर विश्नोई	निदेशक	एन.ए.	एन.ए.
4.	श्री के. सी. देवसेनापति ( 04/07/2019 तक )	निदेशक	2	0
5.	श्री अजीत वसंत (20/07/2019 से 16/06/2020 तक)	निदेशक	2	2
6.	श्री सुखेन कुमार बांचोपाध्याय	निदेशक	1	0
7.	श्री विनय कुमार सिंह	निदेशक	4	4

8.	श्री संजय खरे	निदेशक	2	0
9.	श्री प्रेम सिंह यादव (up to 01/08/2019)	निदेशक	2	2

## 22. वैधानिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स के एम जैन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भिलाई, दुर्ग (CG) को नियुक्त किया है।

## 23. सी. एण्ड ए.जी. की टिप्पणियां

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए कंपनी के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सी. एण्ड ए.जी. की टिप्पणियां इस रिपोर्ट अनुबंध- II में संलग्न हैं। (नोट- रसीद पर सी. एण्ड ए.जी. की टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, प्राप्त होने पर प्रबंधन के उत्तर के साथ ही इस रिपोर्ट को भी संलग्न कर दिया जाएगा।)

## 24. सचिवीय मानक पर प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

## 25. कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कंपनी के सभी कर्मचारियों के साथ शारीरिक, मौखिक या मनोवैज्ञानिक यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

## 26. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

कंपनी को लागत लेखा और रिकार्ड की रख-रखाव करने और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और इसके अधीन बने नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार लागत ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।

## 27. सतर्क तंत्र

कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है और यह जनता से जमा को स्वीकार नहीं करती है और बैंक तथा वित्तीय संस्थान से कोई फंड उधार नहीं लेती है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के संदर्भ में सतर्कता तंत्र स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

## 28. स्वतंत्र निदेशक

चूंकि कंपनी कंपनियों (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) के नियम 2014 के नियम 4 के दायरे में नहीं आती है, इसलिए इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

**29. बोर्ड के कार्यनिष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन**

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में रु.-25 करोड़ से अधिक नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**30. ऑडिटर द्वारा धारा 143 (12) के तहत धोखाधड़ी की की गई रिपोर्ट:**

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षक द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी।

**31. कर्मचारियों का विवरण**

कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) नियमों, 2014 के प्रावधानों के तहत, आपकी कंपनी का कोई भी कर्मचारी उक्त नियमों के तहत निर्धारित पारिश्रमिक की प्राप्ति में नहीं था।

**32. आभार**

निदेशक मंडल भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिये गये सपोर्ट और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। निदेशकगण लेखा परीक्षकों, बैंकरों और कंपनी के सभी हितधारकों से प्राप्त समर्थन की भी सराहना करते हैं।

कृते : निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

ह0/-

(सुखेन कुमार बंधोपाध्याय)

निदेशक

DIN:08173882

(अरूण कुमार शुक्ला)

प्रबंध निदेशक

DIN: 03324672

तिथि : 26-08-2020

स्थान : कोलकाता

## अनुबंध

फार्म सं.- MGT 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31/03/2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के संदर्भ में

पंजीकरण और अन्य

I

विवरण :

i	CIN	U13100CT2018GOI008543	
ii	पंजीकरण तिथि	21/05/2018	
iii	कंपनी का नाम	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	
iv	कंपनी श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड/भारतीय सरकारी कंपनी	
v	निबंधित कार्यालय का पता	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, क्वार्टर नं.-002बी, स्ट्रीट-40, सेक्टर-05, भिलाई, दुर्ग(छ.ग.) 490006	
	संपर्क विवरण	इ-मेल	chhattisgarhcopper@gmail.com
		दूरभाष	0788-2222337
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं	
vii	निबंधक तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं	

कंपनी का मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

II

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा

क्र सं	मुख्य उत्पाद/सवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
कंपनी को अभी भी अपना वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करना है			

## III होल्डिंग, अनुषंगी और सहायक कंपनियों का विवरण

क्र सं	कंनली का नाम और पता	CIN/GLN	होल्डिंग/अनुषंगी/सहायक	धारित शेयरों का %	लागू सेक्शन
1	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	L27201WB1967GOI028825	होल्डिंग	74	2(46)

## IV. शेयरधारण पद्धति इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में )

## (i) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष क दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
A. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
a) वैयक्तिक/ HUF*	-	6	6	0	-	6	6	0	-
b) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) बॉडीज कॉरपोरेट	-	249,994	249,994	100	-	249,994	249,994	100	-
e) बैंक/व.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (A)(1)	-	250,000	250,000	100	-	250,000	250,000	100	-
(2) विदेश									
a) NRI-वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) अन्य वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) बाडीज कॉरपोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) अन्य कोई ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (A)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटर्स का कुल शेयरधारण (A)=	-	250,000	250,000	100	-	250,000	250,000	100	-



C. जी.डी.आर. और ए.डी.आर. के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल जोड़ (A+B+C)	250,000	250,000	100	-	250,000	250,000	100	-

\*नोट : कंपनी में वैयक्ति रूप से धारित शेयरें मात्र कंपनी के प्रमोटर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, न कि व्यक्तिगत रूप में ।

(ii) प्रमोटरों का शेयर धारण

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारण में परिवर्तन %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी या भारग्रस्त किए गए शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी या भारग्रस्त किए गए शेयर का %	
1	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	184995	74	-	184995	74	-	-
2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	64999	26	-	64999	26	-	-
3	एचसीएल के नामित शेयरधारक (5 Nos.)	5	0	-	5	0	-	-
4	सीएमडीसे के नामित शेयरधारक (1 No.)	1	0	-	1	0	-	-
	कुल	250,000	100		250,000	100		

**नोट:** कंपनी एचसीएल और एनएमडीसी का संयुक्त उद्यम है । दिनांक 30/08/2016 के जे.भी.ए. के अनुसार धारण का प्रतिशत 74:26 था ।



(iii) प्रमोटरों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	250,000	100	250,000	100
2	वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तारीख वार वृद्धि / कमी।	निरंक			
3	वर्ष के अंत में	250,000	100	250,000	100

## (iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों के शेयरधारण की पद्धति (निदेशकों, प्रमोटर्स और जीडीआर तथा एडीआर के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ (निगमन की तिथि अर्थात् 21-05-2018) में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
	<p>शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए वर्ष के प्रारंभ में</p> <p>वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तारीख वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) हुई हो तो वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करें :</p> <p>वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया हो)</p>	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
निरंक					

## (v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण

क्र.सं.	निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
	<p>वर्ष के प्रारंभ में</p> <p>वर्ष के दौरान प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग में तारीख वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) हुई हो तो वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करें :</p> <p>वर्ष के अंत में</p>	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %

V.	ऋणग्रस्तता				
	ब्याज बकाया / अर्जित सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन भुगतान के लिए बकाया नहीं				
विवरण		जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता		निरंक			
i)	मूल राशि				
ii)	ब्याज बकाया है परंतु अभुगतानित				
iii)	ब्याज हुआ परंतु बकाया नहीं है				
कुल (i+ii+iii)					
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
	जोड़				
	घटाव				
शुद्ध परिवर्तन					
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता					
i)	मूल राशि				
ii)	ब्याज बकाया है परंतु अभुगतानित				
iii)	ब्याज हुआ परंतु बकाया नहीं है				
कुल (i+ii+iii)					

VI	निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक			
A.	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक			
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/WTD का नाम		कुल राशि
1	सकल वेतन	निरंक		
(a)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन			
(b)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य			
(c)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ			
2	स्टॉक विकल्प			
3	स्वीट इक्विटी			
4	कमीशन लाभ का % के रूप में अन्य (स्पष्ट करें)			
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	कुल (A)			
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग			
B.	अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :			
1	स्वतंत्र निदेशक	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं		
(a)	बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क	लागू नहीं		
(b)	कमीशन			
(c)	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	कुल (1)			
2	अन्य गैर-अधिकारी निदेशक			
(a)	बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क			
(c)	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	कुल (2)			
	कुल (B)=(1+2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			

	अधिनियम के अनुसार समय सीमा	लागू नहीं		
C.	प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/WTD के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक			
क्रम सं	पारिश्रमिक विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		
1	सकल वेतन			कुल राशि
(a)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधान के अनुसार वेतन	निरंक		
(b)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य			
(c)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के वदले लाभ			
2	स्टॉक विकल्प			
3	स्वीट इक्विटी			
4	कमीशन			
	लाभ का %			
	अन्य, स्पष्ट करें			
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	कुल			

## VII. दोषों का जुर्माना/ सजा/ कंपाउण्डिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त परिचय	लगाये गये जुर्माना / सजा / कंपाउण्डिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (RD/ NCLT/ कोर्ट)	यदि कोई अपील किये गये हों (विवरण दे)
अ. कंपनी जुर्माना					
जुर्माना					
सजा					
ब. निदेशकगण					
जुर्माना					
सजा					
कंपाउण्डिंग					
स. दोषी अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
सजा					
कंपाउण्डिंग					

निरंक

कृते - छत्तीसगढ़ कॉपर लि.

ह0/-  
(सुखेन कुमार बंधोपाध्याय)  
निदेशक  
DIN: 08173882

ह0/-  
(अरूण कुमार शुक्ला )  
प्रबंध निदेशक  
DIN: 03324672

तिथि : 26-08-2020

स्थान : कोलकाता

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम के सेक्शन 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानक के अनुसार इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 07 जुलाई 2020 द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के पूरक ऑडिट का संचालन नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
के लिए और की ओर से

स्थान : कोलकाता  
तिथि : 13 अगस्त 2020

ह0/-

(सुपर्णा देव)  
महालेखा परीक्षक (खान)  
कोलकाता

के.एम.जैन एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट	9 हिमालया कॉम्प्लेक्स सुपेला, भिलाई जिला : दुर्ग (छ.ग.) 490023 दूरभाष : 0788-2294369,4032039 इ-मेल : kmjbhilai@gmail.com
--	---

### एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

सेवा में,

छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के सदस्यगण

#### अभिमत

हमने संलग्न मेसर्स छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है जिसमें 31 मार्च 2020 का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश सहित वित्तीय विवरणों का नोट भी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सबसे सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की स्थिति, लाभ / हानि तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के बारे में अधिनियम द्वारा वांछित जानकारी आवश्यकतानुसार और आमतौर पर भारत में स्वीकृत मान्यता के अनुसार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

#### अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (SAs) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण सेक्शन की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



### एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों यथा - एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकद प्रवाह, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी तरीके से लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए संचालित थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन जारी चिंता, प्रकटीकरण, जो लागू हो, जारी चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन की चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है परंतु ऐसा किया जा रहा है, कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

### वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलत विवरण होने का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, से उसके इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, हम अनुबंध "ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा आवश्यक है, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C & AG) द्वारा जारी किए गए निर्देशों / अतिरिक्त दिशाओं के लिए हमारे उत्तर का एक विवरण अनुबंध "बी" देते हैं।

अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने उक्त सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छे थे।
- ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा के खाते अभी तक रखे गए हैं, क्योंकि यह उन खातों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
- ग) इस रिपोर्ट द्वारा दिये गये बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेखा खाते के साथ हैं।
- घ) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, जो कंपनी (नियम) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित है, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ड.) हमारी राय में, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R 463 (E) दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रण के संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, अनुलग्नक "सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- छ) अन्य मामलों के संबंध में ऑडिटर्स रिपोर्ट में कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार, हमारी राय में और जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित शामिल किया जाना चाहिए :

1. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों,
2. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक निकट नुकसानदेह हो।

कृते- के.एम.जैन एण्ड कं.  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट  
FRN002252c  
ह०/-  
(सिद्धार्थ जैन)  
(पार्टनर)  
MH.435800

स्थान : भिलाई

Date: 07/07/2020

स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

[मेसर्स छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट में "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर ऐसी जाँचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित माना और हमारे ऑडिट के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

I. इसकी अचल संपत्तियों के संबंध में;

(ए) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

ii. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी, कंपनी अभी भी अन्वेषण के चरण में है। अभी तक कंपनी के पास कोई भौतिक सूची नहीं है।

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है: तदनुसार, आदेश के पैरा 3(iii) लागू नहीं है।

IV. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और निःश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है। कंपनी ने न तो कोई गारंटी जारी की है और न ही किसी हिस्से की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान की है।

V. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (वी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

VI. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत निर्दिष्ट किया गया है। कंपनी ने अभी तक व्यवसाय शुरू नहीं किया है, कंपनी द्वारा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

VII. सांविधिक वकाया के संबंध में;

(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में लेखा के खातों में कटौती / अर्जित नहीं किया गया और अन्य भौतिक

वैधानिक बकाया वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा किए गए हैं, भाग्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस और अन्य भौतिक वैधानिक देय के संबंध में कोई निर्विवाद राशि, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय हो गये हों, 31 मार्च, 2020 तक एरियर के रूप में बकाया नहीं था।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक कोई विवादित कर मामले नहीं हैं।

VIII. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंकों से ऋण या उधार के किसी भी पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है और न ही इसे कोई डिबेंचर जारी किया है।

IX. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से पैसा नहीं बढ़ाया है जिसमें ऋण साधन और सावधिक ऋण शामिल हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

X. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी को हमारे ऑडिट के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

XI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान / प्रदान नहीं किया है।

XII. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधी कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं है।

XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू होते हैं, का अनुपालन किया है और इस तरह के लेनदेन के विवरण का खुलासा, जहाँ भी आवश्यकता हो, लागू होने वाले लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण में किया गया है।

XIV हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने इस वर्ष के दौरान शेयरों का कोई प्रीफ्रेंशियल आवंटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाया है, इसलिए आदेश का पैरा 3 (xiv) लागू नहीं है।

- XV. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशक या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।
- XVI. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते- के.एम.जैन एण्ड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

FRN002252०

ह०/-

(सिद्धार्थ जैन)

(पार्टनर)

MH.435800

स्थान : भिलाई

Date: 07/07/2020

स्वतंत्र निदेशक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश :

क्रम सं.	निर्देश	की गई कार्रवाई	लेखा और वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन का वित्तीय पहलू सहित लेखा की अखंडता पर पड़े प्रभाव, यदि कोई है, तो बतायें।	जी हाँ, कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है।	लेखा और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधारों / ऋणों / ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋण या माफ/राइट-ऑफ के मामले का पुनर्गठन करना है या नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बतायें।	हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधारों / ऋणों / ब्याज आदि पर किसी भी मौजूदा ऋण या उधार के राइट ऑफ का कोई पुनर्गठन का मामला नहीं है।	लेखा और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धन प्राप्त / प्राप्य नहीं है।	लेखा और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कृते के.एम.जैन एंड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स  
(FRN: 002252C)

ह0/-

(सिद्धार्थ जैन)

(पार्टनर)

M.No.435800

स्थान : भिलाई

तिथि : 07-07-2020

"लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध -सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 तक छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का भारतीय लेखा मानक के साथ संयोजन के साथ ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित थे।

आडिटर्स का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित गाइडेंस नोट और मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है जिसकी हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का अनुपालन करते हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और मॉन्टेड था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना शामिल है जिसमें भौतिक कमजोरी मौजूद है, और नमूनों की जाँच और मूल्यांकन तथा



आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों का भौतिक गलत विवरण शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मित्तीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में ह्रास हो सकता है।

**अभिमत**

हमारी राय में, हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी सामग्रियों के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे जो भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग

पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के दिशानिर्देश नोट में आंतरिक नियंत्रण के 7 आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते- के.एम.जैन एण्ड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

FRN002252c

हो/-

(सिद्धार्थ जैन)

(पार्टनर)

MH.435800

स्थान : भिलाई

Date: 07/07/2020

आंकड़ा (रु.) में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 तक का	31 मार्च 2019 तक का
<b>A) परिसंपत्तियाँ</b>			
1 <b>गैर-चालू परिसंपत्तियाँ</b> संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पूँजीगत कार्य प्रगति पर अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ अनुषंगी, सहायक और संयुक्त उद्यम में निवेश वित्तीय परिसंपत्तियाँ निवेश ऋण अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ आयकर संपत्ति (शुद्ध) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध) अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	1	396,549	494,808
<b>उप योग - गैर-चालू परिसंपत्तियाँ</b>		<b>396,549</b>	<b>494,808</b>
2 <b>चालू परिसंपत्तियाँ</b> सामग्री सूची वित्तीय परिसंपत्तियाँ निवेश ट्रेड देनदारियाँ नकद और नकद समकक्ष उपर्युक्त नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैं शेष अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य चालू परिसंपत्तियाँ बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	2	15,051	510,972
	3	119,700	117,000
<b>उप योग - चालू परिसंपत्तियाँ</b>		<b>134,751</b>	<b>627,972</b>
<b>कुल - परिसंपत्तियाँ</b>		<b>531,300</b>	<b>1,122,780</b>
<b>B) इक्विटी एवं देयताएं</b>			
1 <b>इक्विटी</b> इक्विटी शेयर पूँजी अन्य इक्विटी	4	2,500,000	2,500,000
	5	(2,856,096)	(2,479,827)
<b>उप योग - अंशधारकों की निधि</b>		<b>(356,096)</b>	<b>20,173</b>
2 <b>देयताएं</b> गैर-चालू देयताएं वित्तीय देयताएं अन्य वित्तीय देयताएं प्रावधान आय-कर देयताएं (शुद्ध) अन्य गैर-चालू देयताएं			
<b>उप योग - गैर-चालू देयताएं</b>		-	-
3 <b>चालू देयताएं</b> वित्तीय देयताएं ट्रेड देनदारियाँ अन्य वित्तीय देयताएं अन्य चालू देयताएं प्रावधान चालू कर देयताएं (शुद्ध)	6	845,898	973,622
	7	41,498	128,985
<b>उप योग - चालू देयताएं</b>		<b>887,396</b>	<b>1,102,607</b>
<b>कुल - इक्विटी एवं देयताएं</b>		<b>531,300</b>	<b>1,122,780</b>
इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में		निदेशक मंडल के लिए और की ओर से	
ह0/- कृते के.एम.जैन एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म पंजीकरण सं. 002252C		ह0/- मृत्युंजय के. देव कंपनी सचिव M.No. ACS 22171	ह0/- एच. के. वर्मा मुख्य वित्तीय अधिकारी
ह0/- सिद्धार्थ जैन (पार्टनर) M.No: 435800 स्थान : भिलाई कोलकाता : 07-07-2020	ह0/- विनय के सिंह निदेशक एंड सीईओ (DIN: 08306517)	ह0/- एस के बंधोपाध्याय निदेशक (DIN: 08173882)	ह0/- अरुण के. शुक्ला प्रबंध निदेशक (DIN: 03324672)

## छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड

( एच.सी.एल. और सी.एम.डी.सी. की संयुक्त उद्यम कंपनी )

## 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ और हानि का एकल विवरण

आकड़ा (रु.) म

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
1.a. संचालन से राजस्व		-	-
1.b. अन्य आय		-	-
1. कुल आय [1.a. + 1.b.]		-	-
2. व्यय			
a) व्यवहृत सामग्री की कीमत		-	-
b) तैयार वस्तु, अर्द्ध तैयार वस्तु और प्रक्रियाधीन कार्य की वस्तुसूची में परिवर्तन		-	-
c) कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय		-	-
d) वित्त लागत		-	-
e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	8	98,259	65,149
f) विज्ञापन और प्रचार		-	-
g) सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय	9	278,010	2,414,678
2. व्यय [(a) से (g) का जोड़ ]		376,269	2,479,827
3. प्रत्याशित वस्तुओं और कर से पहले लाभ (हानि) (1-2)		(376,269)	(2,479,827)
4. प्रत्याशित वस्तुएं		-	-
5. कर-पूर्व लाभ/(हानि) (3-4)		(376,269)	(2,479,827)
6. कर संबंधी व्यय		-	-
7. कर पश्चात संचालन की अवधि के लिए लाभ (हानि)(5-6)		(376,269)	(2,479,827)
8. कर पूर्व पश्चात संचालन बंद करने से लाभ/(हानि)		-	-
9. संचालन बंदी से कर संबंधी व्यय		-	-
10. कर पश्चात संचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (8-9)		-	-
11. कर पश्चात अवधि के लिए लाभ/(हानि) (7+10)		(376,269)	(2,479,827)
12. अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) - शुद्ध ऋण / (प्रभार)		-	-
13. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (11+12)		(376,269)	(2,479,827)
14. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.-10/- प्रति शेयर)		2,500,000	2,500,000
15. बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व		(2,856,096)	(2,479,827)
16. प्रति शेयर आय (सतत संचालनों के लिए )			
(a) मूल - (')		(1.51)	(9.92)
(b) डायल्यूटेड - (')		(1.51)	(9.92)
17 प्रति शेयर आय (संचालन बंदी के लिए)			
(a) मूल - (')		-	-
(b) डायल्यूटेड - (')		-	-
18.iii प्रति शेयर आय (संचालन बंदी के लिए)			
(a) मूल - (')		(1.51)	(9.92)
(b) डायल्यूटेड - (')		(1.51)	(9.92)
इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में		निदेशक मंडल के लिए और की ओर से	
ह0/-		ह0/-	ह0/-
कृते के.एम. जैन एंड कं.		मृत्युंजय के. देव	एच. के. वर्मा
चार्टर्ड एकाउन्टेंट		कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
फर्म पंजीकरण सं. 002252C		M.No. ACS 22171	
ह0/-	ह0/-	ह0/-	ह0/-
सिद्धार्थ जैन	विनय के. सिंह	एस.के. बंधोपाध्याय	अरुण के. शुक्ला
(पार्टनर)	निदेशक एवं सीईओ	निदेशक	प्रबंध निदेशक
M.No: 435800	(DIN: 08306517)	(DIN: 08173882)	(DIN: 03324672)
स्थान : भिलाई			
तिथि : 07-07-2020			

**छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का एकल विवरण

विवरण	31 मार्च 2020 तक का	31 मार्च 2019 तक का
संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कराधान के पूर्व लाभ	(376,269)	(2,479,827)
<b>के लिए समायोजन :</b>		
ह्रास	98,259	65,149
निवेश आय	-	-
ब्याज व्यय	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ / (हानि)	-	-
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन :</b>		
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2,700)	(117,000)
सामग्री सूची में (वृद्धि) / (कमी)		
देय व्यापार में वृद्धि / (कमी)	(215,211)	1,102,607
संचालनों से सृजित नकद	(495,921)	(1,429,071)
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
भुगतान किया गया आयकर	-	-
भुगतान किया गया लाभांश	-	-
<b>संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद</b>	<b>(495,921)</b>	<b>(1,429,071)</b>
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
व्यापार अधिग्रहण, अधिग्रहित किये शुद्ध नकद	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	-	(559,957)
उपकरण की बिक्री से आय	-	-
पोर्टफोलियो निवेश का अधिग्रहण	-	-
निवेश संबंधी आय	-	-
<b>निवेश गतिविधियों में व्यवहृत शुद्ध नकद</b>	<b>-</b>	<b>(559,957)</b>
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी जारी करने से आय	-	2,500,000
दीर्घकालीन उधार से आय	-	-
दीर्घकालीन उधार का भुगतान	-	-
<b>वित्तीय गतिविधियों में व्यवहृत शुद्ध नकद</b>	<b>-</b>	<b>2,500,000</b>
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि	(495,921)	510,972
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	510,972	-
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	15,051	510,972

इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/-  
कृते के.एम.जैन एंड कं.  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट  
फर्म पंजीकरण सं.002252C

ह0/-  
मृत्युंजय के देव  
कंपनी सचिव  
M.No. ACS 22171

ह0/-  
एच.के. वर्मा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-  
सिद्धार्थ जैन  
(पार्टनर)  
M.No: 435800  
स्थान : दुर्ग  
तिथि : 07-07-2020

ह0/-  
विनय के सिंह  
निदेशक एवं सीईओ  
(DIN: 08306517)

ह0/-  
एस.के.बंदोपाध्याय  
निदेशक  
(DIN: 08173882)

ह0/-  
अरुण के. शुक्ला  
प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03324672)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण

A. इक्विटी शेयर पूँजी		आंकड़ रु. में
01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2019 को शेष
-	2,500,000	2,500,000

B. अन्य इक्विटी	सामान्य रिजर्व	पूँजीगत रिजर्व	प्रतिधारित (Retained) आय	कुल
01.04.2018 को शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	(2,479,827)	(2,479,827)
31.03.2019 को शेष	-	-	(2,479,827)	(2,479,827)

A. इक्विटी शेयर पूँजी		आंकड़े रु. में
01.04.2019 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2020 को शेष
2,500,000		2,500,000

B. अन्य इक्विटी	सामान्य रिजर्व	पूँजीगत रिजर्व	प्रतिधारित (Retained) आय	कुल
01.04.2019 को शेष	-	-	(2,479,827)	(2,479,827)
वर्ष के दौरान अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	(376,269)	(376,269)
31.03.2020 को शेष	-	-	(2,856,096)	(2,856,096)

इसी तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/-  
कृते के. एम. जैन एंड कं.  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट  
फर्म पंजीकरण सं. 002252C

ह0/-  
मृत्युंजय के देव  
कंपनी सचिव  
M.No. ACS 22171

ह0/-  
एच.के. वर्मा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-  
सिद्धार्थ जैन  
(पार्टनर)  
M.No: 435800  
स्थान : दुर्ग  
तिथि : 07-07-2020

ह0/-  
विनय के सिंह  
निदेशक एवं सीईओ  
(DIN: 08306517)

ह0/-  
एस.के.बंघोपाध्याय  
निदेशक  
(DIN: 08173882)

ह0/-  
अरुण के. शुक्ला  
प्रबंध निदेशक  
(DIN: 03324672)

छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट					
(रु. में)					
नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			राशि रु. में		राशि रु. में
1	<b>मूर्त संपत्ति</b> कुल संपत्तियाँ घटाव : ह्रास घटाव: डिस्काउंट संपत्तियों के लिए प्रावधान घटाव : लंबित निवेश-परिसंपत्तियों की घाटा के लिए प्रावधान नेट ब्लॉक ( अगले पृष्ठ पर देखें )		559,957 163,408 -		559,957 65,149 -
			<b>396,549</b>		<b>494,808</b>
2	<b>नकद और नकद समकक्ष</b> A) नकद और नकद समकक्ष i) हाथ में नकद ii) हाथ में चेक, ड्राफ्ट iii) बैंकों में शेष -अनुसूचित बैंकों में - अन्य बैंकों में		15,051		510,972
		<b>कुल</b>	<b>15,051</b>		<b>510,972</b>
3	<b>अन्य चालू संपत्ति</b> i) वसूली योग्य GST		119,700		117,000
		<b>कुल</b>	<b>119,700</b>		<b>117,000</b>
4	<b>शेयर पूंजी</b> a) अधिकृत शेयर पूंजी - इक्विटी शेयर पूंजी b) बराबर मूल्य प्रति शेयर(रु. में ) c) बराबर मूल्य प्रति प्रीफरेंस शेयर (रु. में) जारी किये गये, अभिदत्त और पूर्ण भुगतानित शेयरों की सं. - इक्विटी शेयर पूंजी  एचसीएल लि. सीएमडीसी लि.	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000
		250,000	2,500,000	250,000	2,500,000
		185,000	1,850,000	185,000	1,850,000
		65,000	650,000	65,000	650,000
	<b>कुल :</b>	<b>250,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>2,500,000</b>
	e) पुनर्मिलान किये गये शेयरों की सं. और अदत्त शेयर पूंजी 01.04.2019 को अदत्त जोड़ : अवधि के दौरान जारी किये गये शेयर कैपिटल/अभिदत्त शेयरों की सं. घटाव: शेयरों की सं./शेयर पूंजी में कमी 30.09.2019 को अदत्त	शेयरों की सं.	(रु. में)	शेयरों की सं.	(रु. में)
		-	-	-	-
		250,000	2,500,000	250,000	2,500,000
		-	-	-	-
		250,000	2,500,000	250,000	2,500,000
	f) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारियों के विशिष्ट लोगों की संख्यां निर्दिष्टि करनी है एच.सी.एल. सीएमडी लि.	सं. में	(%) में	सं. में	(%) में
		185,000	74%	185,000	74%
		65,000	26%	65,000	26%
		250,000		250,000	
	g) नकद के रूप में प्राप्ते होनेवाले भुगतान के बिना अनुबंध के तहत आवंटित किए गए शेयर(सीएमडीसी लिमिटेड, रायपुर को आवंटित)की कुल सं	65,000	650,000	65,000	650,000

छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड					
एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट					
(रु. में)					
नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		शेयरों की सं.	राशि रु. में	शेयरों की सं.	राशि रु. में
5	<b>आरक्षित और आधिक्य</b>				
	a) आरक्षित पूँजी विगत तुलन-पत्र के अनुसार जोड़ : आधिक्य से अंतरण जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान घटाव : अवधि के दौरान राइट-बैक घटाव: अवधि के दौरान समंजन तुलन-पत्र की तिथि को				
	b) विशेष रिजर्व विगत तुलन पत्र के अनुसार जोड़: आधिक्य से अंतरण घटाव: आधिक्य को अंतरण घटाव: अवधि के दौरान समायोजन तुलन पत्र तिथि को				
	c) सांविधिक रिजर्व विगत तुलन पत्र के अनुसार जोड़: आधिक्य से अंतरण घटाव: अवधि के दौरान राइट-बैक घटाव: अवधि के दौरान समायोजन तुलन-पत्र तिथि के अनुसार				
	d) सामान्य रिजर्व विगत तुलन पत्र के अनुसार जोड़: आधिक्य से अंतरण घटाव: अवधि के दौरान राइट-बैक घटाव: अवधि के दौरान समायोजन तुलन-पत्र तिथि के अनुसार				
	e) आधिक्य *		(2,856,096)		(2,479,827)
	<b>कुल</b>		<b>(2,856,096)</b>		<b>(2,479,827)</b>
	आधिक्य का विवरण *				
	लाभ हानि विवरण के अनुसार अवधि के लिए लाभ		(376,269)		(2,479,827)
	शेष आगे लाया गया		(2,479,827)		-
	शेष कैरीड फारवार्ड		(2,856,096)		(2,479,827)
6	<b>अन्य चालू देयताएं</b>				
	i) अन्य देयताएं -		845,898		973,622
	1- एचसीएल लेखा से अग्रिम	650,000		650,000	
	2- अन्य देय लेखा	195,898		323,622	
	<b>कुल</b>		<b>845,898</b>		<b>973,622</b>
7	<b>अंशाकालीन प्रावधान</b>				<b>TERM PR</b>
	i) प्रावधान - अन्य विगत तुलन पत्र के अनुसार अवधि के दौरान जोड़ *	128,985		-	
	अवधि के दौरान व्यवहृत राशि	30,000		128,985	
	अवधि के दौरान आरक्षित राशि	117,487		-	
	अंत शेष		41,498		128,985
	<b>कुल</b>		<b>41,498</b>		<b>128,985</b>
7.1	*वर्ष के दौरान प्रावधान में लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक 30000 का शुल्क शामिल है				



छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड एकल वित्तीय विवरणों के लिए नोट					
(रु. में)					
नोट सं.	विवरण	31 मार्च 2020 के अनुसार		31 मार्च 2019 के अनुसार	
		राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
8	<u>ह्रास और ऋण परिशोधन व्यय</u>				
	A. ह्रास अवधि के लिए ह्रास		98,259		65,149
	उप योग (A)		98,259		65,149
	B. ऋण परिशोधन अवधि के दौरान प्रशासन		-		-
	उप योग (B)		-		-
	कुल (A+B)		98,259		65,149
9	<u>सृजन, प्रशासन और अन्य व्यय</u>				
	<u>प्रशासनिक व्यय</u>				
	पूँजी वृद्धि व्यय	-		993,500	
	वाहन प्रभार, भाड़ा प्रभार और अन्य प्रभार	15,246		211,344	
	संपर्क प्रभार	-		650,000	
	मुद्रण प्रभार	-		26,275	
	किराया प्रभार	158,880		404,090	
	जल प्रभार	2,250		2,250	
	विद्युत् प्रभार	25,198		18,898	
	टेलीफोन प्रभार	24,131		18,098	
	विविध व्यय	7,305		75,046	
	ऑडिटर को भुगतान	45,000		15,000	
	बैंक प्रभार	-	278,010	177	2,414,678
	उप योग		278,010		2,414,678
			As at 31.03.2020		As at 31.03.2019
	<u>व्याख्यात्मक नोट :-</u>				
	1) लेखा परीक्षकों को भुगतान किये गये का विवरण निम्नांकित है:-				
	i) सांविधिक लेखा परीक्षक				
	लेखा परीक्षक के रूप में				
	- ऑडिट शुल्क		35,000		15,000
	- कर ऑडिट शुल्क		5,000		-
	अन्य हैसियत से				
	- कंपनी नियम संबंधी मामले				-
	- व्यय की प्रतिपूर्ति		5,000		-
	ii) लेखा परीक्षक व्यय				
	- लेखा परीक्षा शुल्क				
	- व्यय की प्रतिपूर्ति				
	iii) आंतरिक लेखा परीक्षक				
	- लेखा परीक्षा शुल्क				
	- व्यय की प्रतिपूर्ति				
	कुल		45,000		15,000

नोट: 1 संपत्ति, सयंत्र और उपकरण ( सक्रिय संपत्ति)								( रु. में )
विवरण	फ्री होल्ड भूमि	सेनिटरी एवं जलापूर्ति प्रणाली सहित भवन	सयंत्र, मशीनरी और खनन उपकरण	उपस्कर और फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	वाहन	विद्युत उपकरण और स्थापन	कुल	
<u>31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष</u>								
<u>सकल करेडिंग राशि</u>								
प्रारंभिक सकल करेडिंग राशि				-			-	
अंतर अदला-बदली जोड़				559,957			559,957	
इंटर हेड समायोजन बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है							-	
निपटान							-	
अंतरण							-	
<u>क्लोजिंग सकल करेडिंग राशि</u>				<u>559,957</u>			<u>559,957</u>	
<u>संचयी ह्रास</u>								
प्रारंभिक संचयी ह्रास				-			-	
वर्ष के दौरान ह्रास प्रभार				65,149			65,149	
ह्रास घाटा							-	
अंतर अदला-बदली जोड़							-	
इंटर हेड समायोजन बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है							-	
निपटान							-	
अंतरण							-	
<u>क्लोजिंग संचयी ह्रास</u>	-	-	-	<u>65,149</u>	-	-	<u>65,149</u>	
<u>शुद्ध करेडिंग राशि 2018-19</u>	-	-	-	<u>494,808</u>	-	-	<u>494,808</u>	
<u>नोट : 1 संपत्ति, सयंत्र और उपकरण</u>								( रु. में )
विवरण	फ्री होल्ड भूमि	सेनिटरी एवं जलापूर्ति प्रणाली सहित भवन	सयंत्र, मशीनरी और खनन उपकरण	उपस्कर और फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	वाहन	विद्युत उपकरण और स्थापन	कुल	
<u>31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष</u>								
<u>सकल करेडिंग राशि</u>								
प्रारंभिक सकल करेडिंग राशि				559,957			559,957	
अंतर अदला-बदली जोड़							-	
इंटर हेड समायोजन बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है							-	
निपटान							-	
अंतरण							-	
<u>क्लोजिंग सकल करेडिंग राशि</u>				<u>559,957</u>			<u>559,957</u>	
<u>संचयी ह्रास</u>								
प्रारंभिक संचयी ह्रास				65,149			65,149	
वर्ष के दौरान ह्रास प्रभार				98,259			98,259	
ह्रास घाटा							-	
अंतर अदला-बदली जोड़							-	
इंटर हेड समायोजन बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है							-	
निपटान							-	
अंतरण							-	
<u>क्लोजिंग संचयी ह्रास</u>	-	-	-	<u>163,408</u>	-	-	<u>163,408</u>	
<u>शुद्ध करेडिंग राशि 2019-20</u>	-	-	-	<u>396,549</u>	-	-	<u>396,549</u>	

## 11. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### 1. कॉर्पोरेट सूचना

दिनांक 21-05-2018 को स्थापित और भारत में अधिवासित है। छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेट लिमिटेड (CCL) छत्तीसगढ़ राज्य में कॉर्पोरेट और उससे जुड़े खनिजों की खोज, खनन और बेनीफिशियेशन के लिए हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड (HCL) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास (CMDC) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (JVC) है। चूँकि एचसीएल के पास जेवी में 74% इक्विटी है, इसलिए यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (87) के अनुसार एचसीएल की अनुषंगी भी है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### 2.1 लेखांकन का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर और भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 201 5 ("भारतीय लेखांकन मानक नियम"), के अधीन निर्धारित कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, एकरूल आधार के अधीन मेंटेंड लेखे के खाते से ऐतिहासिक कॉस्ट कंवेशन के अधीन तैयार किये गये हैं। गणना की लेखांकन नीतियाँ इन वित्तीय विवरणों में लागू संगणना और प्रस्तुतीकरण के तरीकों को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि में लगातार लागू किया गया है।

#### 2.2 आकलन का व्यवहार

भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए निर्णय, आकलन और अनुमानों का उपयोग करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। उच्च स्तर के निर्णय या जटिलता वाले क्षेत्र, या ऐसे क्षेत्र जहाँ वित्तीय विवरणों के लिए धारणाएँ और अनुमान महत्वपूर्ण हैं, "नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट" के रूप में प्रकट किए जाते हैं।

#### 2.3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

पीपीई के एक आइटम की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल यदि, यह संभावना है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। पीपीई के एक आइटम की लागत मान्यता तिथि पर नकद मूल्य के बराबर है। पीपीई के एक आइटम की लागत में निम्न शामिल है:

- i. आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित खरीद मूल्य, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद।
- ii. पीपीई को सीधे स्थान पर लाने के लिए लागत और प्रबंधन के लिए इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्त।
- iii. आइटम को तोड़ने और हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है, वह दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो पीपीई का अधिग्रहण करती है या उस अवधि के दौरान अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए एक विशेष अवधि के दौरान पीपीई का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। कंपनी ने मान्यता के लागत मॉडल को चुना है और यह मॉडल पीपीई के एक पूरे वर्ग पर लागू होता है। संपत्ति के रूप में मान्यता के बाद, पीपीई का आइटम अपनी लागत से कम संचित मूल्यद्वास और किसी भी संचित हानि नुकसान पर किया जाता है। जब पी.पी.ई. के किसी आइटम के हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें PPE के अलग-अलग आइटम (प्रमुख घटक) के रूप में जाना जाता है।

#### 2.4 वर्णन

PPE के किसी आइटम की मूल्यद्वास राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 11 के पार्ट- सी में निर्धारित इसकी उपयोगी जीवन पर अथवा कंपनी की तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति का वास्तविक उपयोगी जीवन, जो भी कम हो के सीधे आधार पर आवंटित किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य और संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। पीपीई की मद का प्रत्येक भाग लागत के साथ महत्वपूर्ण है जो वस्तु की कुल लागत के संबंध में अलग से मूल्यद्वास है। इस तरह की सभी वस्तुओं पर मूल्यद्वास उस तारीख से प्रदान किया गया है, जब वे बिक्री की तारीख तक 'पुटे टू यूज' हैं। ऐसी सभी वस्तुओं का अवशिष्ट मूल्य व्यक्तिगत संपत्ति की मूल लागत के 5% पर लिया जाता है।

पीपीई की मद को निपटान या जब भविष्य में परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से उत्पन्न किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, पर डिरिकोगनाइज्ड किया जाता है। छोटे मूल्य की कुछ उपभोग्य वस्तुएं जिनका उपयोगी जीवन बहुत सीमित है, खरीद के वर्ष में राजस्व के लिए सीधे शुल्क लिया जाता है।

जिस तारीख से भारतीय लेखांकन मानक प्रभावी हुआ, परिसंपत्ति की कैरिंग राशि शेष उपयोगी जीवन के अनुमान के अनुसार संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर द्वास हो गयी।

### 3. चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/ गैर-चालू के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है

वर्गीकरण। कंपनी द्वारा वर्तमान परिसंपत्ति को तब चालू माना जाता है:

- ~ इसकी संपत्ति को महसूस करने की उम्मीद है, या अपने सामान्य परिचालन चक्र में इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;
- ~ यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए संपत्ति रखता है;
- ~ यह रिपोर्टिंग की तारीख के बाद बारह महीनों के भीतर संपत्ति का वास्तविक मूल्य पाने की उम्मीद करना;

"परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 के तहत परिभाषित किया गया है) जब तक कि संपत्ति एक्सचेंज किए जाने से या रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए इस्तेमाल होने से प्रतिबंधित नहीं है।

उपर्युक्त के अलावा अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

देयता को कंपनी द्वारा चालू के रूप में माना जाता है जब:

- > इसकी अपेक्षा यह है कि देयता को निपटाने के लिए संपत्ति का वास्तविक मूल्य पाने, या इसके सामान्य परिचालन चक्र में बेचने या उपभोग करने का इरादा है;
- > यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में दायित्व का निपटान करने की उम्मीद करता है;
- > यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;
- > दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय किया जाना है;
- > इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। दायित्व की शर्तें जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी उपकरणों को जारी कर इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

उपरोक्त को छोड़कर, अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### 4. खनिज अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय

#### 4.1 पूर्व-अन्वेषण लागत

पूर्व-अन्वेषण की लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे आते हैं।

#### 4.2 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां (ई एंड ई परिसंपत्तियां)

एक बार जब संपत्ति का पता लगाने का कानूनी अधिकार हासिल कर लिया गया है, अधिग्रहण की लागत के अलावा, अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय से संबंधित लागतों को मान्यता और पूंजीकृत किया जाता है। इन प्रत्यक्ष व्यय में ऐसी लागतें शामिल हैं जैसे कि

पता लगाने के लिए अधिकारों का अधिग्रहण, उपयोग की गई सामग्री, स्थलाकृतिक, भूवैज्ञानिक, भू-रासायनिक और भूभौतिकीय मूल्यांकन, सर्वेक्षण लागत, नमूनाकरण, ड्रिलिंग लागत, तकनीकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन के संबंध में गतिविधियाँ और खनिज संसाधन को निकालने की व्यावसायिक व्यवहार्यता, परामर्श लागत, अन्वेषण के चरण के दौरान ठेकेदारों को किए गए भुगतान इत्यादि । अन्वेषण और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए सीधे नहीं जिम्मेदार लागत को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिसमें वे आते हैं।

प्रशासनिक और सामान्य शीर्ष व्यय जो सीधे संपत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, को ई एंड ई परिसंपत्तियों के रूप में पूँजीकृत किया जाता है ।

ई एंड ई परिसंपत्तियाँ मूर्त या अमूर्त हो सकती हैं। एक अमूर्त संपत्ति को विकसित करने में जिस हद तक एक मूर्त संपत्ति का सेवन किया जाता है, यह दर्शाता है कि उपभोग की गई अमूर्त संपत्ति की लागत का हिस्सा हो सकता है। हालाँकि, उपयोग की जा रही संपत्ति एक मूर्त संपत्ति है।

जब किसी परियोजना को कंपनी के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य संभावना नहीं माना जाता है, तो उस परियोजना के संबंध में अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय को खराब समझा जाता है। परिणामस्वरूप, अनुमानित वसूलियों से अधिक उन अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय लागत, लाभ एवं हानि विवरण से रिटर्न-ऑफ किया जाता है ।

कंपनी हानि के लिए अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों का आकलन करती है जब तथ्य और परिस्थितियाँ बताती हैं कि संपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो सकती है।

एक बार खनिज संसाधन निकालने की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यावसायिक व्यवहार्यता निर्धारित हो जाने के बाद, संपत्ति को विकास के तहत खान माना जाता है और इसे "निर्माणाधीन खानों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को विकास संपत्तियों में स्थानांतरित करने से पहले हानि के लिए परख की जाती है।

जैसा कि कंपनी ने वर्तमान में वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है, किसी भी आकस्मिक राजस्व, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूलियों की प्राप्ति शामिल है, अन्वेषण गतिविधियों के संबंध में अर्जित पूँजीगत अन्वेषण लागत में कमी के रूप में लागू होती है।

ह्रासित हानि को उलट दिया जाता है यदि कोई संकेत हो कि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में बदलाव हुआ है। ह्रासित हानि केवल इस

हद तक उलटाया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक नहीं हो जो निर्धारित की गई होगी, मूल्यहास का शुद्ध, यदि कोई हास हानि को मान्यता नहीं दी गई थी।

#### 4.3 डीकमिशनिंग / साइट बहाली दायित्व के लिए व्यय

प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के तहत डीकमिशनिंग / साइट बहाली दायित्व के लिए वित्तीय निहितार्थ तकनीकी रूप से अनुमानित हैं और भागीदारी, सामग्री नहीं होने के कारण वास्तविक भारग्रहण पर शुल्क लिया जाता है।

### 5. आकलन और प्रावधान

#### 5.1 आकलन का उपयोग

आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय वक्तव्यों की प्रस्तुति के लिए आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

#### 5.2 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

- > वर्तमान संभावित दायित्वों के संबंध में लेखा में प्रावधान मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।
- > आकस्मिक देयताएं जो अतीत से उत्पन्न होती हैं

एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ उत्पन्न होना कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होती हैं।

- > आकस्मिक संपत्ति को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।

### 6. आयकर और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रावधान

- > आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य विभिन्न राहतों पर विचार करने के बाद प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के समय प्रचलित आयकर कानूनों और नियमों के अनुसार कराधान का प्रावधान किया जाता है।
- > आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है।

**7. नकद और नकद समकक्ष**

बैलेंस शीट में समतुल्य नकद और नकदी में बैंक और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अंशकालिक जमा शामिल होते हैं जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन होते हैं।

कृते- के.एम.जैन एण्ड कं.

चार्टर्ड एकाउन्टेंट

FRN002252c

ह0/-

(सिद्धार्थ जैन)

(पार्टनर)

MH.435800

ह0/-

(एच.के.वर्मा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

(विनय कुमार सिंह)

निदेशक एवं सी.ई.ओ.

(DIN:0830 517)

स्थान : भिलाई

तिथि : 07/07/2020